भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

अधिसू ना सं. डीएनबीएस.192/डी ी (वीएल)-2007 दिनांक 22 फरवरी, 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक, नता के हित में यह आवश्यक सम कर, और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयो न से नी े दिए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबधित निदेश ारी करना रूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 नवरी, 1998 की अधिसू ना सं. डीएफसी.119/डी ी (एसपीटी)/98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 का अधिक्रमण करते हुए सार्व निक मारशियां स्वीकार/धारण करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को छोड़कर) तथा प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को इसके पश ात निर्दिष्ट निदेश देता है।

<u>संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयो यता</u>

1. (1) इन निदेशों को "गैर-बैकिंग वित्तीय (मारशि स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से ाना ाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3) (i) इन निदेशों के प्रावधान, निम्नलिखित पर लागू होंगे-

(क) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसी पारस्परिक हितलाभ वित्तीय कंपनी [और पारस्परिक हित लाभ कंपनी] को छोड़कर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नता की मारशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में यथापरिभाषित और नता से/ मारशियां स्वीकार/धारित करती हों;

(ख) अवशिष्ट गैर-बंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में यथापरिभाषित कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ।

(ii) ये निदेश कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे ाो एक सरकारी कंपनी है और सार्व ानिक ामाराशि स्वीकार/धारण करती है।

परिभाषा

2. (1) इन निदेशों के प्रयो ान के लिए, ाब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(i) "विघटित मूल्य(break-up value)" का अर्थ है ईक्विटी पूं ाी तथा आरक्षित निधि, िासे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से /के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती(इनवेस्टी) कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभा ाित किया गया है;

(ii) "वहन लागत(carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों ं का बही मूल्य और उस पर उप ाित ब्या ा किंतु ाो प्राप्त न हुआ हो;

(iii) "वर्तमान निवेश(current investment)" का अर्थ है ऐसा निवेश िासे तुरंत भुनाया ाा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए ााने के लिए हो;

(iv) *"संदिग्ध परिसंपत्तियों " का अर्थ है -*

(क) मीयादी ऋण, अथवा

(ख) पट्टा परिसंपत्ति, अथवा

(ग) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति,

ाो 18 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रही हो;

(v) "अ ानि मूल्य" का अर्थ है ईक्विटी शेयरों का वह मूल्य िासकी गणना करने के बाद करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायो ाित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभा ाित किया गया हो तथा िासे निम्नलिखित दर पर पूं ाीकृत किया गया होः

(क) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत

(ख) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(ग) एनबीएफसी-सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी :

यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अ िन मूल्य शून्य पर लिया ााएगा;

(vi) "उ ित मूल्य" का अर्थ है अ िन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;

(vii) "संमिश्र ऋण(hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूं ीगत लिखत िसमें ईक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

(viii) 'मूलभूत संर ाना ऋण' का अर्थ है एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऐसी ऋण सुविधा ो मीयादी ऋण, परियो ाना ऋणस्वरूप किसी परियो ाना वित्त पैके ा के हिस्से के रूप में अ ित किसी परियो ाना कंपनी के बाण्ड/डिबें ार/अधिमानी शेयर/ईक्विटी शेयर में अभिदान हो और अभिदान की यह रकम "अग्रिम के रूप में" हो अथवा निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई किसी अन्य प्रकार की दीर्घावधि निधिक सुविधा होः

- *विकास कार्य अथवा*
- *परि ालन एवं परिरक्षण, अथवा*
- *विकास, परि ालन एवं परिरक्षण*

ऐसी कोई मूलभूत संर ाना सुविधा ो निम्नलिखित क्षेत्र की कोई परियो ाना होः

क) सड़क, पथकर सड़क-सहित, पुल अथवा रेल प्रणाली;

ख) महामार्ग परियो ाना िसमें महामार्ग परियो ाना की अभिन्न अंगवाली अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं;

ग) बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय ालमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह;

घ) ाल आपूर्ति परियो ाना, सिं ाई परियो ाना, ाल शुद्धिकरण प्रणाली, सफाई एवं मल ाल प्रणाली अथवा ठोस क ारा वस्तुओं के प्रबंधन की प्रणाली;

ङ) मूलभूत(basic) या सेल्यूलर दूरसं ार सेवाएं, साथ ही रेडियो पे िंग, घरेलू उपग्रह सेवा (अर्थात दूरसं ार सेवा उपलब्ध कराने हेतु ऐसा उपग्रह िसका स्वामित्व एवं परि ालन भारतीय कंपनी के पास हो), ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क तथा इंटरनेट सेवाएं;

I) औद्योगिक क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र;

छ) बि ली उत्पादन अथवा बि ली उत्पादन एवं वितरण;

I) नई प्रेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क लगाकर बि ली का प्रेषण या वितरण;

I) कृषि-प्रसंस्करण तथा कृषि निविष्टि आपूर्ति वाली परियो नाओं से संबंधित निर्माण;

ञ) प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद, खराब हो ानेवाली वस्तुओं ैसे फल, सब ी तथा फूल के परिरक्षण एवं भंडारण हेतु निर्माण, इसमें गुणवत्ता की ां ा सुविधा भी शामिल है;

ट) शिक्षा संस्थाओं एवं अस्पतालों का निमार्ण; और

ठ) समान प्रकृति की कोई अन्य मूलभूत संर ना सुविधा

(ix) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ है :

(क) ऐसी परिसंपत्ति िसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पह ाना गया है िस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति ो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या ूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से(विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

(x) "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;

(xi) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास यो ना के संबंध में संबंधित म्यु ुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

(xii) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है :

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, ि ानमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 9(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(ख) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूं ीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य ि ासे पट्टा समायो ान खाते की रकम में समायोि ात किया गया है।

(xiii) 'अन कि परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति ि ास पर ब्या ा छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ख) अदत्त ब्या ा-सहित ऐसा मीयादी ऋण, ि ासकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा ि ास पर ब्या ा की रकम छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ग) ऐसा मांग अथवा सू ाना ऋण, ाो मांग या सू ाना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से अतिदेय हो अथवा ि ास पर ब्या ा की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(घ) ऐसा बिल ाो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ङ) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य ाालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत क ि से संबधित ब्या ा अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, ाो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ा) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, ाो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(छ) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, ाो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;

(ा) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपा ात ब्या ा-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि ाब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अन कि परिसंपत्ति बन ाएः

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

(xiv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है ुकता ईक्विटी पूं ी, अधिमानी शेयर ाो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूं ीगत आरक्षित निधि ाो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृ ात आरक्षित निधियों को छोड़कर, सं ात हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित रा ास्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xv) "मानक परिसंपत्ति" का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है िासकी ुकौती या मूल रकम या ब्या ा के भुगतान में कोई ूक न हुई हो और िासमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य ाोखिम से अधिक ाोखिम हो;

(xvi) *"अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ हैः*

(क) ऐसी परिसंपत्ति िासे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अन कि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ख) ऐसी परिसंपत्ति िासके ब्या ा और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परि ाालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्सं र ानाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोष ानक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्सं र ाना की गई होः

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसं र ाना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(xvii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः ुकता लिखत, ाो गैर- ामानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमो य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगाः

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टा दर
(क) एक वर्ष तक	100%
(ख) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(ग) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%
(घ) तीन वर्ष से अधिक किंतु ाार वर्ष तक	40%
(ङ) ाार वर्ष से अधिक किंतु पां ा वर्ष तक	20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-I पूं ाी के प ाास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xviii) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क ब ो द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता ि ास पर अदा की गई रकम कंपनी की ुकता पूं ाी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूं ाी के दस प्रतिशत से अधिक है;

(xix) "टियर-I पूं ाी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि से है ि ासमें से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबें ारों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में, ि ानमें किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी ामाराशियां शामिल हैं, स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है:

(xx) "टियर -II पूं ाी" में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) उनसे इतर अधिमानी शेयर ाो ईक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(ख) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;

(ग) सामान्य प्रावधान एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि ाो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए ाोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक ाौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;

(घ) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूं ाी लिखत; और

(ङ) गौण ऋण

ि ासकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूं ाी से अधिक न हो।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियों, ाो यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्व ानिक ामाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 अथवा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में परिभाषित की गई हैं, का अर्थ वही होगा ाो उक्त अधिनियम अथवा उक्त निदेशों में है। कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति, ाो उक्त अधिनियम या उन निदेशों में परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा ाो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनसे अभिप्रेत है।

<u>आय निर्धारण</u>

3. (1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

(2) ब्या ा/बट्टा-सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया ााएगा ाब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय ि ासकी गणना परिसंपत्ति के अन िक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो, तो उसे उसमें से घटा (रिवर्स कर)दिया ााएगा।

(3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, ाहां किस्त 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय है, आय के रूप में उनकी गणना तभी की ााएगी ाब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो ााएं। ऐसी कोई भी आय ि ासे परिसंपत्ति के अन िक बनने से पूर्व लाभ और हानि खाता में ामा के रूप में ले लिया गया है और ि ासकी वसूली नहीं हुई है, उसे पलट(रिवर्स कर) दिया ााएगा।

(4) पट्टा वाली परिसंपत्तियों के संबंध में, ाहां पट्टा किराया 12 महीने से अधिक समय तक अतिदेय हों, आय के रूप में उनकी गणना तभी की ााएगी ाब पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो गए हों। पट्टा किराया की वह निवल राशि ाो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादक होने से पूर्व लाभ और हानि खाते में ले ली गई है और ि ासकी वसूली नहीं हुई है, पलट (रिवर्स कर)दी ााएगी।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयो ान के लिए, 'निवल पट्टा किराया' का अर्थ है सकल पट्टा किराया ो लाभ-हानि खाते में नामे/ ामा, पट्टा समायो ान खाते से समायोि ात किया गया हो और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसू ाी XIV के अंतर्गत लागू दर पर मूल्यह्रास के रूप में घटाया गया हो।

निवेशों से प्राप्त आय

4. (1) कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की ााएगी;

बशर्ते कंपनी निकाय द्वारा उसकी वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए ााने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उप ाय के आधार पर की ााए और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार स्थापित हो ााए।

(2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबें ारों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों से होनेवाली आय की गणना उप ाय के आधार पर की ााएः

बशर्ते इन लिखतों पर ब्या ा दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्या ा का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया न हो।

(3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्या ा भुगतान और मूलधन की ाुकौती ो केंद्र सरकार अथवा रा य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उप ाय के आधार पर की ााए।

लेखांकन मानक

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आइसीएआइ" नाम से उल्लिखित) द्वारा ाारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया ााएगा ाहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

<u>निवेशों का लेखांकन</u>

6. *(1)(क) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;*

(ख) इस निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को ालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को ालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया ाएगा;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-श्रेणी अंतरण नहीं किया ाएगा;

(ii) आवश्यक होने पर, मण्डल के अनुमोदन से 'अंतर-श्रेणी' अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर को किया ाएगा;

(iii) निवेश को ालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से ालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बा ार मूल्य पर ो भी कम हो, शेयरवार अंतरित किया ाएगा;

(iv) यदि कोई मूल्यह्रास है, तो प्रत्येक शेयर में उसके लिए पूरा प्रावधान किया ाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नज़रअंदाज़ किया ाएगा;

(v) अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोि ात नहीं किया ाएगा,

(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से उद्धृत ालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा ाएगा, अर्थात्

(क) ईक्विटी शेयर,

(ख) अधिमानी शेयर,

(ग) डिबें ार और बाण्ड,

(घ) खज़ाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(ङ) पारस्परिक निधियों की यूनिटें, और

(ा) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्‌धृत ाालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बा ार मूल्य, ो भी कम हो, पर किया ाएगा। इस प्रयो ान से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा ाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बा ार मूल्य को एकीकृत किया ाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बा ार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया ाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया ाएगा। यदि श्रेणी निवेश का सकल बा ार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को न ारअंदा ा किया ाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायो ित नहीं किया ाएगा।

(3) ाालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, ो भी कम हो, पर किया ाएगा। एनबीएफसी, आवश्यक सम ाने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उ ित मूल्य रख सकती हैं। ाहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया ाएगा।

(4) ाालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, ो भी कम हो, पर किया ाएगा।

(5 अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया ाएगा।

(6) पारस्परिक निधि की यूनिटों में ाालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट यो ाना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया ाएगा।

(7) वाणि ियक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया ाएगा।

(8) दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आइसीएआइ द्वारा ाारी लेखा मानक द्वारा किया ाएगा।

<u>टिप्पणी :</u> आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयो ान से अनुद्धृत डिबें ारों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना ाएगा ो इस प्रकार के डिबें ारों की अवधि पर निर्भर करेगा।

<u>मांग/सू ाना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता</u>

7. (1) मांग/सू ाना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

(2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया ाएगाः

(i) एक अंतिम तारीख ि ासके भीतर मांग अथवा सू ाना ऋण की ाुकौती की मांग की ाा सकेगी या सू ाना भे ाी ाा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सू ाना ऋण की मं ाूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस मांगने अथवा वापसी की सू ाना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मं ाूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मं ाूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्या ा की दर ाो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्या ा या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सू ाना ऋण मं ाूर करते समय, यदि कोई ब्या ा निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मं ाूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण, ाो ऋण मं ाूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सू ाना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया ााएगा ाब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न ाले कि मं ाूरी की शर्तों का संतोष ानक अनुपालन किया ाा रहा है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

8. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमज़ोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपाश्र्विक ामानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात् :

(i) मानक परिसंपत्तियां,

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां,

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां, और

(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां,

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी मात्र पुनर्निर्धारण किए ााने के कारण पदोन्नत नहीं की ााएगी, ाब तक परिसंपत्तियां अन कि पदोन्नति के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं ।

प्रावधानीकरण अपेक्षा

9. प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अन कि होते ााने, उसके अन कि हो ााने के बी ा लगने वाले समय, ामानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित ामानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी :

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित
ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं

(1) खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया ाएगाः

(i) हानिवाली परिसंपत्तियां	समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली ाएगी। यदि किसी कारण से परिसंपत्तियों को बहियों में बने रहने दिया ाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया ाए;
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	(क) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया ाएगा ो उस मानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है िसका एनबीएफसी के पास वैध आश्रय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया ाना है; (ख) उपर्युक्त मद (क) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए मानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया ाएगाः

ि स अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया	**प्रावधान का प्रतिशत**
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	कुल बकाया के 10% का सामान्य प्रावधान किया ाएगा।

पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां

(2) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया ाएगाः

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (अतिदेय और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया ाएगा :

(क) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार मा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले ा करके; तथा

(ख) वि ाराधीन (प्रतिभूतिगत) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयो न के लिए,

(1) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की ाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी ो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया ाएगाः

(क) हां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक अतिदेय हो	शून्य
(ख) हां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(ग) हां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(घ) हां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत

(ङ) ाहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत से अधिक समय से अतिदेय हो

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो ााने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया ााएगा।

टिप्पणी :

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई ामानत राशि/मार्ािन राशि अथवा ामानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया ााए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी ामानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया ााएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में ामानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी ामानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया ााएगा।

(3) यह स्पष्ट किया ााता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के ह्रासित बही मूल्य का, पट्टा समायो ान खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोाित करने के बाद, प्रावधान किया ााएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना ााएगा।

(4) इन निदेशों के पैरा (2)(1)(xvi)(ख) में संदर्भित परिसंपत्ति ािसके लिए पुनः बात ाीत(रिनिगोशएट) की गई अथवा ािसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी ााएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी ािस श्रेणी में वह पुनः बात ाीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व, ाैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया ााता रहेगा ाब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल ााए।

(5) पैरा 10 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया ाए।

(6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।

<u>तुलनपत्र में प्रकटीकरण</u>

10. (1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से, उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया ाएगाः

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोि ात नहीं किया ाएगा।

(4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला ाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोि ात किए बिना पुनरांकित किया ाए।

एनबीएफसी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन

11. एनबीएफसी िासकी परिसंपत्तियां पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं, एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन करेंगी िासमें उसके निदेशक मण्डल के कम से कम तीन सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार गठित लेखा-परीक्षा समिति इस पैरा के प्रयो ानार्थ लेखा-परीक्षा समिति होगी।

स्पष्टीकरण 2ः इस पैरा के अंतर्गत गठित लेखा-परीक्षा समिति को वही शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे, ाो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क में दिए गए हैं।

लेखा वर्ष

12. प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मा ि को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। ाब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख ब. ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रि ास्ट्रार के पास ाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना ाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी ि ानमें बैंक तथा कंपनी रि ास्ट्रार ने समय ब. ाने की मं ूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मा ि को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी।

तुलनपत्र की अनुसू ी

13. प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ संलग्नक 1 में दी गई अनुसू ी में ब्योरे संलग्न करेगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

14. प्रत्येक एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएस ीएल खाते या उसके डिमैट खाते के ारिए कर सकती है;

बशर्ते कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के ारिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना

15. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह (कंपनी) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही है ि ासके लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45- ाक के अंतर्गत ारी पं ीकरण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र 31 मा ि को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के लिए प्राप्त कर गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को हर वर्ष 30 ून तक प्रस्तुत किया ाए ि ासके अंतर्गत कंपनी का पं ीकरण है। ऐसे प्रमाणपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति/आय के स्वरूप का उल्लेख भी होगा ि ासके कारण कंपनी परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी या ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हुई ।

<u>पूं ी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा</u>

16. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, टियर -I और टियर II पूं ी पर आधारित न्यूनतम पूं ी अनुपात बनाए रखेगी, ो तुलनपत्र में उसकी सकल ोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के ोखिम समायो ित मूल्य के बारह प्रतिशत से कम नहीं होगीः

(2) टियर II पूं ी का ोड़, किसी भी समय, टियर I पूं ी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u>

<u>तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में</u>

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण ोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के ोखिम समायो ित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित ोखिम भार से गुणा किया ाएगा ताकि परिसंपत्तियों का ोखिम समायो ित मूल्य निकाला ा सके। न्यूनतम पूं ी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित ोखिम भार के सकल(aggregate) को हिसाब में लिया ाएगा। ोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त(funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया ाएगाः

<u>भारित ोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में</u>

	<u>प्रतिशत भार</u>
(i) बैंकों में मीयादी मा एवं उनके पास मा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(ii) <u>निवेश</u>	
(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां	*0*
[नी े (ग) के अलावा]	
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी मा/ मा प्रमाणपत्र/बांड	100
(घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबें र/बांड/ वाणि य पत्र एवं सभी म्यु ुअल फंड की यूनिटें	100

(iii) ाालू(current) परिसंपत्तियां	
(क) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/ ामा	100
(ग) कंपनी ही द्वारा धारित ामाराशियों की पूरी ामानत पर ऋण और अग्रिम	0
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अन्य ामानती ऋण और अग्रिम िन्हें अ छा पाया गया है	100
(ा) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अ ाल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नी ार और फिक्स ार	100
(v) अन्य परिसंपत्तियां	
(क) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ख) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय(ड्यू) ब्या ा	0
(घ) अन्य (स्पष्ट किया ााए)	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया ााए िनमें मूल्यह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए िन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार 'शून्य' होगा।

(3) ाोखिम भार लगाने के प्रयो ान से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक ाोखिम की गणना करते समय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्ािन/प्रतिभूति ामा/ ामानती राशि रूपी संपाश्र्विक प्रतिभूति, िसकी मु ारायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायो ान कर सकती हैं।"

तुलनपत्र से इतर मदें

(2) इन निदेशों में, तुलनपत्र से इतर मदों से संबद्ध ऋण ोखिम(एक्सपो र) की मात्रा को ऋण परिवर्तन कारक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अतः, तुलनपत्र से इतर मदों के ोखिम समायोि त मूल्य की गणना के लिए सबसे पहले प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को उसके संगत परिवर्तन कारक (कन्वर्सन फैक्टर) से गुणा करना होगा। इसके सकल को न्यूनतम पूं ी अनुपात निकालने के लिए हिसाब में लिया ाएगा। इसे पुनः ोखिम भार 100 से गुणा किया ाएगा। तुलनपत्र से इतर मदों के ोखिम समायोि त मूल्य की गणना, गैर-निधिक मदों के ऋण परिवर्तन कारकों द्वारा निम्नानुसार की ाएगीः-

मद का स्वरूप	**ऋण परिवर्तन कारक- प्रतिशत**
(i) वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
(ii) शेयर/डिबें र हामीदारी दायित्व	50
(iii) आंशिक-प्रदत्त शेयर/डिबें र	100
(iv) भुनाए/पुनः भुनाए गए बिल	100
(v) किए गए पट्टा करार ो निष्पादित होने हैं	100
(vi) अन्य आकस्मिक देयताएं (स्पष्ट किया ाए)	50

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लागू करने से पहले नकदी मार् िन/ मा राशियों को घटाया ाएगा।

एनबीएफसी के अपने शेयरों पर ऋण वर्ि त

17. (1) कोई भी एनबीएफसी अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

(2) इन निदेशों के लागू होने की तारीख को किसी एनबीएफसी द्वारा उसके शेयरों पर दिए गए ऋण की बकाया राशि को ुकौती अनुसू ी के अनुसार एनबीएफसी द्वारा वसूला ाएगा।

ानता की ामाराशि की ुकौती करने में असफल एनबीएफसी को ऋण देने और निवेश करने पर प्रतिबंध

18. कोई भी एनबीएफसी ो ानता की ामा को अथवा उसके किसी अंश को इस ामा की शर्तों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 थक (1) के उपबंधों के अनुसार ुकाने में असफल रहती है तो वह कोई ऋण अथवा किसी भी नाम से अन्य कोई ऋण सुविधा नहीं दे सकेगी या ाब तक उक्त ूक बनी रहती है तब तक कोई निवेश नहीं कर सकेगी या कोई अन्य परिसंपत्ति का सृ ान नहीं करेगी।

भूमि और भवन तथा अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

19. (i) कोई भी परिसंपत्ति वित्त कंपनी ो ानता से ामाराशियां स्वीकार करती है, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी :

(क) भूमि अथवा भवन में, स्वयं के उपयोग को छोड़कर, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि;

(ख) किसी अन्य कंपनी के अनुद्धृत शेयरों में, ो सहायक कंपनी न हो अथवा एनबीएफसी की उसी समूह की कंपनी न हो, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि।

(ii) कोई ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी, ो ानता से ामाराशियां स्वीकार करती है, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी :-

(क) भूमि अथवा भवन में, स्वयं के उपयोग को छोड़कर, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि;

(ख) किसी अन्य कंपनी के अनुद्धृत शेयरों में, ो सहायक कंपनी न हो अथवा एनबीएफसी की उसी समूह की कंपनी न हो, अपनी स्वाधिकृत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक राशि;

बशर्ते उसके क र्ा को पूरा करने के लिए अधिगृहीत भूमि अथवा भवन अथवा अनुद्धृत शेयरों, यदि एनबीएफसी द्वारा पहले से ही धारित इस प्रकार की परिसंपत्तियों सहित उनमें किया गया निवेश उक्त अधिकतम सीमा से अधिक है, तो उक्त अभिग्रहण की तारीख से एनबीएफसी द्वारा तीन वर्ष के भीतर अथवा बैंक द्वारा दी गई विस्तारित अवधि के भीतर उसका निपटान करना होगा;

स्पष्टीकरण

अनुद्धृत शेयरों में निवेश की अधिकतम सीमा की गणना करते समय सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में किए गए निवेश को ोड़ा ाएगा ।

बशर्ते यह भी कि अनुद्धृत शेयरों में निवेश की सीमा परिसंपत्ति वित्त कंपनी अथवा ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होगी ि ास सीमा तक किसी बीमा कंपनी की ईक्विटी पूं ी में निवेश के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष अनुमति दी गई हो।

ऋण/निवेश का संकेंद्रण

20. (1) कोई भी एनबीएफसी

(i) निम्नलिखित को ऋण नहीं देगी:

(क) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; तथा

(ख) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के प ीस प्रतिशत से अधिक;

(ii) निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी:

(क) अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; और

(ख) एक समूह की कंपनियों के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के प ीस प्रतिशत से अधिक;

(iii) निम्नलिखित से अधिक ऋण नहीं देगी और निवेश नहीं करेगी (ऋण/निवेश मिलाकर):

(क) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधि का प ीस प्रतिशत; और

(ख) किसी एक समूह की कंपनियों को अपनी स्वाधिकृत निधि का ालीस प्रतिशत ।

बशर्ते उक्त ऋण/निवेश केंद्रीकरण की सीमा सरकारी कंपनी अथवा सार्व ानिक वित्तीय संस्था अथवा अनुसू ित वाणि य बैंक द्वारा ारी अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांडों, डिबें रों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के पैरा 6(1)(क) व 6(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबध में उक्त अधिकतम सीमा, एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी ि ास सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की ईक्विटी पूं ी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

बशर्ते यह और भी कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत कोई एनबीएफसी, आपवादिक परिस्थितियों में, किसी एक पार्टी या पार्टियों के एक समूह के लिए ऋण/निवेश संक्रेन्द्रण के संबंध में उपर्युक्त अधिकतम सीमा, अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत तक पार कर सकती है।

टिप्पणी :

(1) सीमाओं के निर्धारण के लिए, तुलनपत्र से इतर एक्सपो ार को पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किए गए परिवर्तन कारकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण ोखिम में बदल दिया ाएगा।

(2) इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयो ान के लिए डिबें रों में किए गए निवेश को ऋण के रूप में माना ाएगा, न कि निवेश के रूप में।

(3) ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी के समूह पर लागू होगी।

छमाही विवरणी प्रस्तुत करना

21. पैरा 1(3)(i)(क) और (ख) में उल्लिखित एनबीएफसी तथा आरएनबीसी प्रत्येक वर्ष सितंबर और मा ि की संबंधित छमाही की समाप्ति से तीन महीने के भीतर संलग्नक (2) फार्मेट एनबीएस-2 में छमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगी, ो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ानता की ामाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी अनुसू ी तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 की अनुसू ी ख के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की ाएगी ि ासके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनी का पं ीकृत कार्यालय स्थित है।

<u>पूं ी बा ार में एक्सपो ार</u>

22. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल परिसंपत्तियोंवाली प्रत्येक एनबीएफसी (आरएनबीसी-सहित) उस माह की समाप्ति के 7 दिन के भीतर एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगी । यह विवरणी वह संलग्नक 3 में दिए गए फार्मेट एनबीएस 6 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ानता की ामाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी अनुसू ी तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 की अनुसू ी 'ख' के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

<u>मूलभूत संर ाना ऋण से संबंधित मानदण्ड</u>

23. (1) <u>प्रयो यता</u>

(i) इन निदेशों के पैरा 2(1)(viii) में यथापरिभाषित ये मानदण्ड मूलभूत संर ाना ऋण से संबंधित करार की शर्तों की पुनर्संर ाना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा (रिनिगोशिएट) करने के लिए लागू होगा, ाो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मानक एवं अवमानक आस्तियों तथा ऋण के लिए ामानती है, ाो शर्तों की पुनर्संर ाना करने और/अथवा पुनर्निर्धारित करने और/अथवा पुनःसौदा करने के अधीन है।

(ii) ाहां परिसंपत्ति की ामानत आंशिक रूप से है, वहां वर्तमान मूल्य आधार पर और विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान करने के अलावा, ऋण की पुनर्संर ाना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण करने तथा/अथवा पुनः सौदा करते समय उपलब्ध ामानत में ि ातिने की कमी है उतने का प्रावधान किया ााएगा।

(2) <u>मूलभूत संर ाना</u> <u>ऋण की शर्तों की पुनर्संर ाना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा</u>

एनबीएफसी, कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतिगत ां ो के अनुसार मूलभूत संर ाना ऋण करार की शर्तों में निम्नलिखित ारणों के अंतर्गत पुनर्संर ाना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा <u>एक बार से अधिक नहीं</u> करें :

(क) वाणि ियक उत्पादन शुरू होने से पहले;

(ख) वाणि ियक उत्पादन शुरू होने के बाद किंतु परिसंपत्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत करने से पहले;

(ग) वाणि यक उत्पादन शुरू होने के बाद और परिसंपत्ति को ाब अवमानक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो;

बशर्ते उपर्युक्त तीन ारणों में से प्रत्येक ारण में पुनर्संर ाना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा करने का पैके ा देने पर मूल और/अथवा ब्या ा-सहित या रहित पुनर्संर ाना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा किया ाा सकता है।

(3) <u>पुनर्संर ानाकृत मानक ऋण का प्रतिपादन(ट्रीटमेंट)</u>

उपर्युक्त पहले दो ारणों में से किसी एक ारण में केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संर ाना अथवा पुनःसौदा करने पर किसी मानक परिसंपत्ति को अवमानक श्रेणी में पुनः वर्गीकृत नहीं करना होगा, यदि कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अथवा प्रारंभिक ऋण मं ूर करने वाले अधिकारी से एक द ाि ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मण्डल द्वारा निर्धारित नीति ां ो के अंतर्गत परियो ाना की पुनः ाां ा करने पर उसे संभाव्य पाया ााता है;

बशर्ते पहले के दो ारणों में से किसी एक ारण में ब्या ा तत्व का पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्संर ाना किए ााने पर परिसंपत्ति को नी ो अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करना होगा लेकिन शर्त यह है कि बाद में यथानिर्दिष्ट ब्या ा तत्व में समायो ान के प्रयो ान से छोड़ दी गई ब्या ा की रकम को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाला ाएगा या उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया ाएगा।

(4) <u>पुनर्संरि ात अवमानक परिसंपत्ति का प्रतिपादन</u>

मूलधन की किस्तों की पुनर्संर ाना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा किये ााने के मामले में अवमानक परिसंपत्ति एक वर्ष की समाप्ति तक उसी श्रेणी में बनी रहेगी और समायो ान के कारण छोड़ी गई ब्या ा की रकम, यदि कोई हो, ि ासमें पिछले बकाया ब्या ा को बट्टे खाते डालने के रूप में समायो ान शामिल है, ब्या ा तत्व में यथानिर्दिष्ट, बट्टे खाते डाला ाएगा अथवा उसके लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान किया ाएगा।

(5) *<u>ब्या ा का समायो ान</u>*

पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्सर ाना में ाहाँ ब्या ा दर को घटाना पड़े, वहाँ ब्या ा समायो ान की गणना मूलभूत संर ाना ऋण के लिए लागू ब्या ा दर (उधारकर्ता पर लागू ाोखिम रेटिंग हेतु यथा समायोि ात) तथा घटाई गई दर के बी ा के अंतर से की ााएगी और पुनर्सर ाना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा प्रस्ताव में इस प्रकार से निर्धारित भावी ब्या ा का वर्तमान सकल मूल्य (मूलभूत संर ाना ऋण पर लागू वर्तमान दर पर भुनाया गया ाोखिम संवर्धन हेतु समायोि ात) निकाला ााएगा।

(6) *<u>निधिक ब्या ा</u>*

एनपीए के संबंध में ब्या ा के निधीयन के मामले में, ाहां निधिक ब्या ा को आय के रूप में निर्धारित किया ााता है, निधिक ब्या ा का पूरा प्रावधान किया ााएगा।

(7) *<u>आय निर्धारण मानदण्ड</u>*

मूलभूत संर ाना ऋण के संबंध में आय निर्धारण प्रक्रिया इन निदेशों के पैरा 3 के प्रावधानों द्वारा सं ाालित होगी;

(8) *<u>धारित प्रावधानों का प्रतिपादन</u>*

एनबीएफसी द्वारा अन कि मूलभूत संर ाना ऋण के लिए किए गए प्रावधानो को, ि ासे इसके ऊपर के उप पैरा (3) के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया ाा सकता है, बनाए रखना तब तक ाारी रहेगा ाब तक ऋण की पूरी वसूली न हो ााए।

(9) *<u>पुनर्सर ानाकृत अवमानक मूलभूत संर ाना ऋण के उन्नयन हेतु पात्रता</u>*

अवमानक परिसंपत्ति, ि ासका पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः सौदा और/अथवा पुनर्सर ाना की ाानी है, ााहे वह मूलधन की किस्तों अथवा ब्या ा के संबध में हो, ााहे ाो तरीका हो, का पुनर्सर ाना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा की शर्तों के अंतर्गत संतोष ानक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति से पहले मानक श्रेणी में उन्नयन नहीं किया ााएगा।

(10) <u>क र्र को ईक्विटी में परिवर्तित करना</u>

 हां ब्या ा के रूप में देय रकम ईक्विटी अथवा अन्य लिखत में परिवर्तित की ाती है और फलस्वरूप आय का निर्धारण किया ाता है, वहां इस प्रकार से निर्धारित आय की रकम का पूरा प्रावधान ऐसे आय निर्धारण के प्रभाव को समाप्त करने हेतु किया ाएगा;

बशर्ते कोई प्रावधान किये ाने की अपेक्षा ही न होगी, यदि ब्या ा का परिवर्तन उस ईक्विटी में हो ि सकी दर उद्धृत है;

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, ब्या ा आय का निर्धारण परिवर्तन की तारीख को, ईक्विटी के बा ार मूल्य पर हो सकता है, ो ईक्विटी में परिवर्तित ब्या ा की रकम से अधिक नहीं होगा।

(11) <u>क र्र को डिबें र में परिवर्तित करना</u>

 हां एनपीए के संबंध में मूलधन और/अथवा ब्या ा की रकम को डिबें र में परिवर्तित किया ाता है, वहां ऐसे डिबें रों को एनपीए माना ाएगा, प्रारंभ से ही, उसी परिसंपत्ति वर्गीकरण में ो ऋण के लिए परिवर्तन से पहले लागू था और मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया ाएगा।

(12) <u>मूलभूत संर ना ऋण और निवेश की एक्सपो र सीमा में वृद्धि</u>

एनबीएफसी इन निदेशों के पैरा 20 के प्रावधान के अनुसार ऋण/निवेश मानदंडों के केंद्रीकरण को एक पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एक समूह के लिए 10 प्रतिशत तक पार कर सकती है, यदि अतिरिक्त एक्सपो र मूलभूत संर ना ऋण और/अथवा निवेश के कारण हो।

(13) <u>एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए ोखिम भार</u>

मूलभूत संर ना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूं ी पर्याप्तता प्रयो नों के लिए 50 प्रतिशत ोखिम भार लगाया ाएगा ि सके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगीः

(i) मूलभूत संर ना सुविधा से आय /नकदी पैदा होती है, ो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/ ुकौती सुनिश्चि ात करती है;

(ii) अनुमोदित ऋण साख ए ेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग ालू और वैध है।

स्पष्टीकरण :

ि ास रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौ ूदा और वैध सम ी ानी ाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग ए ेंसी से रेटिंग का औ ित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औ ित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावे । का हिस्सा हों।

(iii) द्वितीयक बा ार अभिग्रहण के मामले में निर्गम में, 'एएए' रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग ऐ ेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की ाती है।

(iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अ कि परिसंपत्ति है।

<u>छूट</u>

24. भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई को टालने अथवा किसी अन्य उ ित एवं पर्याप्त कारण से ऐसा आवश्यक सम ता है, तो वह किसी एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी की श्रेणी को इन निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन के लिए और समय प्रदान कर सकता है अथवा या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है, ो उन शर्तों के अधीन होगा ि से भारतीय रिज़र्व बैंक उन पर लगाए।

<u>व्याख्या</u>

25. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के प्रयो न से, भारतीय रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक सम ता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण ारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

<u>निरसन और छूट</u>

26. (1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 इन निदेशों द्वारा निरसित माना ाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-खंड (1) में निदेशों के अंतर्गत ारी कोई परिपत्र, अनुदेश, आदेश एनबीएफसी पर उसी प्रकार से लागू रहेंगे ैसे वे ऐसे निरसन से पहले ऐसी कंपनियों पर लागू होते थे।

(वी. लीलाधर)

उप गवर्नर

संलग्नक 1

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र की अनुसू ी
(गैर-बैंकिंग वित्तीय (माराशि स्वीकरण या धारण)
कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक)
निदेश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार अपेक्षित)

(लाख रुपए में)

	ब्योरे		
	देयताएं पक्ष		
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम िनमें इन पर उपर्ि ात पर न ुकाया गया ब्या ा शामिल है:** (क) डिबें ार : मानती : गैर- मानत (नता की माराशि की परिभाषा से बाहर)* (ख) आस्थगित ऋण (ग) मीयादी ऋण (घ) अंतर-कंपनी ऋण और उधार (ङ.) वाणि ि यक पत्र (ा) नता की माराशि* (छ) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं) * कृपया नी े का नोट 1 देखें	बकाया राशि	अतिदेय राशि

2	**उपर्युक्त (1) (ा) का अलग-अलग विवरण (बकाया ानता की ामाराशि ि ानमें इन पर उपा ात, पर न ुकाया गया ब्या ा शामिल है)** (क) गैर- ामानती डिबें ारों के रूप में (ख) आंशिक ामानती डिबें ारों के रूप में अर्थात वे डिबें ार ि ानकी प्रतिभूति के मूल्य में कुछ गिरावट हो (ग) ानता की अन्य ामाराशियां * कृपया नी ो का नोट 1 देखें।	
	परिसंपत्तियां पक्ष	
		बकाया राशि
(3)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नी ो (4) में शामिल के अलावा]** - (क) ामानती (ख) गैर- ामानती	
(4)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की ानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां (क) वित्तीय पट्टे (ख) परि ाालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (क) किराए पर परिसंपत्तियां (ख) पुनःधारित परिसंपत्तियां	

	(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए ानेवाले अन्य ऋण (क) ऐसे ऋण िानमें आस्तियां पुनः धारित की गईं (ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(5)	**निवेशों का अलग-अलग ब्योरा** <u>ाालू निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड) भाव :</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबें ार और बांड (iii) म्यू ाुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबें ार और बांड (iii) म्यू ाुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड):</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबें ार और बांड (iii) म्यू ाुअल फंडों की यूनिटें	

	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबें ार और बांड (iii) म्यू ुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)			
(6)	**उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण :** कृपया नी े का नोट 2 देखें			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		ामानती	गैर-ामानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(क) सहायक कंपनियां			
	(ख) उसी समूह की कंपनियां			
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			
7.	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (ालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नी े का नोट 3 देखें			

	श्रेणी	बा ार मूल्य/अलग-अलग या उ ात मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(क) सहायक कंपनियां		
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष		
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखा मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

8. अन्य ानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अन कि परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अन कि परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii) ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

नोट :

1. *गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नता की माराशियां स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(1)(xii) में यथापरिभाषित।*

2. *गैर-बैंकिंग वित्तीय (मा राशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।*

3. *निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन -सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा ारी सभी लेखा मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। फिर भी, उद्धृत निवेशों के संबंध में बा ार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उ ात मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया ाना ाहिए, भले ही उपर्युक्त (5) में इन्हें दीर्घावधि या ालू के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।*

संलग्नक 2

फार्म-एनबीएस 2

मा र्/सितंबर 200.. की समाप्ति की स्थिति के अनुसार पूं ीगत निधियों, ोखिम परिसंपत्ति/ऋण (एक्सपो र) तथा ोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि का छमाही विवरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम और पता	
कंपनी की कोड सं. (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई)	
पं ीकरण सं. (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई)	
कंपनी का वर्गीकरण (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया)	

(लाख रुपए में)

भाग - क		
मद का नाम	**मद कोड**	**राशि**
पूं ीगत निधियां -टियर I		
(i) ुकता ईक्विटी पूं ी	111	
(ii) वे अधिमान शेयर िन्हें अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तित किया ाना हो	112	
(iii) मुक्त आरक्षित निधियां		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	113	
(ख) शेयर प्रीमियम	114	
(ग) पूं ीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखे परिसंपत्ति के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाते हों)	115	
(घ) डिबें र शोधन आरक्षित निधि	116	
(ङ) पूं ीगत शोधन आरक्षित निधि	117	
( ) लाभ और हानि खाते में मा शेष	118	
(छ) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (विनिर्दिष्ट किए ाएं)	119	
कुल (111 से 119)	**110**	
(iv) हानि का सं ित शेष	121	

(v) आस्थगित रा स्व व्यय	122	
(vi) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
कुल (121 से 123)	**120**	
(vii) स्वाधिकृत निधि (110-120)	**130**	
(viii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
(क) सहायक कंपनियां	141	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	142	
(ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(ix) डिबें रों, बांडों, बकाया ऋण और अग्रिमों, खरीदे गए और भुनाए गए बिलों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही-मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी मीराशियां		
(क) सहायक कंपनियां	144	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	145	
(x) कुल (141 से 145)	**140**	
(xi) मद 140 की राशि, उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक	**150**	
(xii) टियर - I पूं ी		
निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	**151**	

(लाख रुपए में)

भाग - ख		
मद का नाम	**मद कोड**	**राशि**
<u>पूं ीगत निधि - टियर II</u>		
(निदेश का पैरा 2(1)(xx)(ख)		
(i) अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय से इतर अधिमान पूं ी शेयर	161	
(ii) पूनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	
(iv) संमिश्र ऋण पूं ी लिखत	164	
(v) गौण ऋण	165	
(vi) कुल टियर-II पूं ी (मद 161 से 165)	**160**	
कुल पूं ी निधि (151 + 160)	**170**	

(लाख रुपए में)

भाग -ग		
मद का नाम	**मद कोड**	**राशि**
<u>ाोखिम परिसंपत्ति और तुलन पत्र से इतर (ऑफ बैलैंस शीट) मदें</u>		
(i) निधिक ाोखिम परिसंपत्ति का समायोि ात मूल्य अर्थात् तुलन पत्र की (आन-बैलैंस शीट) मदें (भाग घ से मिलना ाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलन पत्र से परे मदों का समायोि ात मूल्य (भाग ङ से मिलना ाहिए)	182	
(iii) ाोखिम भारित कुल परिसंपत्तियां/एक्सपो ार (181 + 182)	180	
(iv) ाोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों/एक्सपो ारों की तुलना में पूं ीगत निधियों का प्रतिशत		
(क) टियर -I पूं ी (मद 151 से मद 180 का प्रतिशत)	191	
(ख) टियर -II (मद 160 से मद 180 का प्रतिशत)	192	
(ग) कुल (मद 170 से मद 180 का प्रतिशत)	193	

(लाख रुपए में)

भाग -घ				
<u>भारित परिसंपत्तियां अर्थात तुलन पत्र की मदें</u>				
मद का नाम	**मद कोड**	**बही मूल्य**	**ोखिम भार**	**समायोि ात मूल्य**
I. सावधि मा तथा मा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष	210		0	0
II. निवेश (निदेश का पैरा 6 देखें)			0	0
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	221		0	0
(ख) सार्व निक क्षेत्र के बैंकों के बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	222 क		0	
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	223 क		20	
(ग) सार्व निक वित्तीय संस्थाओं के सावधि मा/ मा प्रमाणपत्र/बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	224 क		0	0
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	225 क		100	
उप- ोड़ (222 क + 223क + 224 क + 225क)	**उप ोड़ 225क**			
(घ) सभी कंपनियों के शेयर और कंपनियों के डिबें र/बांड/वाणि यक पत्र तथा सभी म्यु ुअल फंडों की यूनिटें				
(i) भाग 'क' मद (xi) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	226		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	227		100	
उप ोड़ (226 + 227)	**उप ोड़ 227**			
III. ालू परिसंपत्तियां				
(क) किराए पर स्टॉक (कृपया नी े का नोट 2 देखें)				

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	ाोखिम भारित	समायोा ित मूल्य
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	231		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	232		100	0
उप- ाोड़ (231+232)	**उप- ाोड़ 232**			
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/ ामाराशि				
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	233		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	234		100	
उप- ाोड़ (233 + 234)	**उप ाोड़ 234**			
(ग) कंपनी की अपनी ामाराशि से पूर्णतः रक्षित ऋण और अग्रिम	235		0	0
(घ) स्टाफ को ऋण	236		0	0
(ङ) अन्य ामानती ऋण और अग्रिम ाो अ छे माने गए				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	241		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	242		100	
उप- ाोड़ (235+236+241+242)	**उप ाोड 242**			
(ा) खरीदे/भुनाए गए बिल				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	243		0	0
(ii) भाग-क में न काटी गई राशि	244		100	
उप- ाोड़ (243+244)	**उप- ाोड़ 244**			
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	245		100	

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	ोखिम भारित	समायोि ात मूल्य
IV. अ ाल परिसंपत्ति (मूल्यह्रास को घटाकर)				
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	251		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	252		100	
उप ोड़ (251+252)	उप- ोड़ 252			
कुल ऋण ोखिम (एक्सपो ार) (उप ोड़ 232 + उप ोड़ 234 + उप ोड़ 242 + उप ोड़ 244+245 + उप ोड़ 252)	**सीटी 200**			
(ख) परिसर	253		100	
(ग) फर्नी ार और फिक्स ार	254		100	
V. अन्य परिसंपत्तियां				
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों को घटाकर)	255		0	0
(ख) अग्रिम ुकाया गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	256		0	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्या ा	257		0	0
(घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	258		100	
भारित कुल परिसंपत्तियां (मद 210 से 258 ि ान मद कोडों के पहले 'उप- ोड़' लिखा हो उसे शामिल न करें)	200			

नोट :

1. उन परिसंपत्तियों का निवलीकरण किया ाए ि ानमें मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किये गये हैं।

2. वित्तीय प्रभारों अर्थात ब्या ा तथा वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटाकर किराए पर स्टाकों को दर्शाया ाए।

3. निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए ि ान परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार "शून्य" होगा।

4. किसी उधारकर्ता के समग्र बकाया ोखिम के संबंध में निवलीकरण नकदी मार् ि ान ामानती राशि/प्रतिभूति ामा से किया ा सकता है ि ानकी ामानत पर मु ारायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है।

भाग- ङ

भारित अनिधिक(non-funded) एक्सपो ार/तुलन पत्र से इतर मदें

मद नाम	मद कोड	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समतुल्य मूल्य	ोखिम भार	समायोि ात मूल्य
1. वित्तीय और अन्य गारंटियां	310	-	100	-	100	-
2. शेयर/डिबें ार हामीदारी बाध्यताएं	320	-	50	-	100	-
3. आंशिक रूप से ुकता शेयर/ डिबें ार	330	-	100	-	100	-
4. बिलों की पुनर्भुनाई	340	-	100	-	100	-
5. पट्टेदारी करार कर तो लिए गए हैं पर निष्पादिन होना बाकी है	350	-	100	-	100	-
6. अन्य आकस्मिक देयताएं (निर्दिष्ट करें)	360	-	50	-	100	-
कुल अनिधिक एक्सपो ार (मद 310 से 360)	300	-	-	-	-	-

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लगाने के पहले नकदी मार्ि नि/ ामाराशियां काट ली ाएंगी।

भाग - ा

परिसंपत्ति वर्गीकरण

I. निम्नलिखित में वर्गीकृत ऋण ाोखिमों का सकल योग:

मद का नाम	*मद कोड*	*राशि*
(i) मानक परिसंपत्ति	411	
(ii) अवमानक परिसंपत्ति		
(क) पट्टेवाली और किराया खरीद परिसंपत्ति	412	
(ख) अन्य ऋण सुविधाएं	413	
(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	414	
(iv) हानि परिसंपत्तियां	415	
ाोड़ (411 से 415)	**410**	
नोट (मद 410 सीटी 200 से मेल खानी ााहिए)		

II. निर्धारित निदेश के अनुसार उपर्युक्त I के संबंध में सकल प्रावधान

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(क) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं			
(i) अवमानक परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ाायी ााए [निदेश का पैरा 3(2)]	421		

मद का नाम	***मद कोड***	***अपेक्षित प्रावधान***	***किए गए वास्तविक प्रावधान***
(ख) बकाया शेष राशि का 10%	422		
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की मा में ले ायी ाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	423		
(ख) मानत के वसूली योग्य मूल्य द्वारा पूर्ति नहीं हुई सीमा तक 100 प्रतिशत और परिसंपत्ति संदिग्ध रही अवधि तक मानती भाग का 20 से 50 प्रतिशत।	424		
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की मा में ले ायी ाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	425		
(ख) बकाया शेष राशि का 100%	426		
ोड़ : (मद सं. 421 से 426)	**उप- ोड़ 426**		
(ख) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियां			

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(i) अवमानक परिसंपत्तियां [निदेश का पैरा 9(2)]			
<u>किराया खरीद परिसंपत्तियां</u>			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ाायी ाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	427		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बी ा की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	428		
(ग) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	429		
<u>पट्टे पर दी हुई परिसंपत्तियां</u>			
(घ) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में ामा की ाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	430		
(ङ)) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	431		
(ii) <u>संदिग्ध परिसंपत्तियां</u>			
<u>किराया खरीद परिसंपत्तियां</u>			

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ाायी ााए। [निदेश का पैरा 3(3)]	432		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बी ा की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	433		
(ग) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	434		
<u>पट्टेपर दी गई परिसंपत्तियां</u>			
(घ) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में ामा की ााए। [निदेश का पैरा 3(4)]	435		
(ङ) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2) (ii)]	436		
<u>किराया खरीद परिसंपत्ति</u>			
(ा) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ाायी ााए। [निदेश का पैरा 3(3)]	437		
(छ) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बी ा की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	438		

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(ा) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	439		
<u>पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां</u>			
(ा) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ायी ाए।[निदेश का पैरा 3(4)]	440		
(ज) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	441		
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां			
<u>किराया खरीद परिसंपत्तियां</u>			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की ामा में ले ायी ाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	442		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बी ा की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	443		
(ग) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	444		

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अन कि परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में ामा की ाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	445		
(ख) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश के पैरा 9(2)(ii)]	446		
उप- ोड़ : (मद सं. 427 से 446)	**उप- ोड़ 446**		
कुल प्रावधान (उप- ोड़ 426 + उप- ोड़ 446)	**420**		
III. निम्नलिखित के संबंध में अन्य प्रावधान			
(i) अ ाल परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास	451		
(ii) निवेश में मूल्यह्रास	452		
(iii) हानि/अमूर्त परिसंपत्तियां	453		
(iv) कराधान हेतु प्रावधान	454		
(v) उपदान/भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (निर्दिष्ट करें)	456		
ोड़	**450**		

भाग -छ

उसी समूह की कंपनियों/फर्मों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश और उन्हें प्रदत्त अग्रिमों से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों को दिये गये ऋण और अग्रिमों का बकाया और उनके पास ामाराशियों और बांडों और डिबें ारों के बही मूल्य (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं।	510	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों तथा सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों और उन स्वामित्व प्रतिष्ठानों में, ि ानमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित शामिल हों, शेयरों, डिबें ारों, ऋणों और अग्रिमों, पट्टा, किराया खरीद वित्त-पोषण, ामाराशि आदि के रूप में किया गया निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं)	530	

भाग - ा

उपर्युक्त भाग 'छ 'में शामिल-सहित पार्टियों को तुलन पत्र से इतर एक्सपो ार और निवेशों-सहित अग्रिमों के संकेंद्रीकरण से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को तुलन पत्र से इतर एक्सपो ार-सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं)	610	

मद का नाम	मद कूट	राशि
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह को तुलन पत्र से इतर एक्सपो ार सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं)	620	
(iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक कंपनी में किये गये निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए ाएं)	630	
(iv) गैर-बैंकिंग कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक ही समूह की कंपनियों द्वारा ारी शेयरों में किये गये निवेश	640	
(v) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को दिए गए ऋण और अग्रिमों (डिबें रों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपो ार सहित) तथा उसके शेयरों में निवेश	650	
(vi) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह की पार्टियों को दिए गए ऋणों, अग्रिमों (डिबें रों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपो ार-सहित) तथा उनके शेयरों में किये गये निवेश	660	

नोट :

1. एक्सपो ार की ये सारी सीमाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने समूह के साथ-साथ उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी समूह पर लागू होंगे।

2. इस प्रयो न के लिए डिबें रों में किया गया निवेश ऋण माना ाएगा, न कि निवेश।

भाग - I

परिसर तथा अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों में किए गए निवेश से संबधित ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक अपने नि ाी उपयोग को छोड़कर (विवरणी के मद कोड 253 में से) परिसर (भूमि और भवन) में किया गया निवेश		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अधिगृहीत	710	
(ख) अपने ऋण की क्षतिपूर्ति के लिए अधिगृहीत	720	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों में (देखें मद कूट 141 तथा 142) निवेश को छोड़कर अनुद्धृत शेयरों में निम्नलिखित से अधिक निवेश		
(क) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत	730	
(ख) ऋण और निवेश कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत	740	

भाग - ञ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा डिक्री प्राप्त ऋण के ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
I		
(i) ऋण, अग्रिम, अन्य ऋण सुविधाएं, पट्टेवाली परिसंपत्तियां और किराया खरीद परिसंपत्तियां ि ानके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने किसी न्यायालय में डिक्रीप्राप्त ऋणों-सहित अपने बकायों की वसूली के लिए वाद दाखिल कर रखे हों :	810	
5 वर्ष से अधिक से वि ााराधीन	811	
3 से 5 वर्ष तक	812	
1 से 3 वर्ष तक	813	
एक वर्ष से कम के लिए वि ााराधीन	814	
(ii) उपर्युक्त (i) में से ि ान ऋणों, अग्रिमों, अन्य ऋण सुविधाओं तथा किराया खरीद परिसंपत्तियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने डिक्री हासिल कर ली है	820	
(iii) वाद दाखिल/डिक्री प्राप्त ऋण (न्यायालय में ामा की गई राशि सहित) से हुई वसूली	830	
II. कंपनी के विरुद्ध दाखिल वाद और डिक्रीप्राप्त	840	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया ाता है कि

(1) इस विवरण में आय निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, पूं ी पर्याप्तता और ऋण तथा निवेश के संकेंद्रण के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ारी निदेशों के अनुसार ही आंकड़े/सू ना दी गई है। कंपनी के बही खातों तथा अन्य अभिलेखों से ही विवरण का संकलन किया गया है और मेरी ानकारी तथा विश्वास के अनुसार ये सही हैं;

(2) कंपनी की परिसंपत्ति तथा आय के स्वरूप से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार इसके प्रधान कारोबार के आधार पर रिज़र्व बैंक ने इसे ----------के रूप में वर्गीकृत किया है ो सही रूप में बकरार है/बरकरार नहीं है (ो लागू न हो उसे काट दें);

(3) कंपनी ने नता की मराशियां स्वीकार की हैं और ये मराशियां कंपनी के लिए लागू सीमाओं के तहत हैं;

(4) कंपनी ने मराशि पर निदेशों में निर्धारित उ तम सीमा से अधिक ब्या /दलाली का भुगतान नहीं किया है;

(5) कंपनी ने परिपक्व मराशि की ुकौती में ूक नहीं की है;

(6) मीयादी मराशि के लिए साख श्रेणी निर्धारण ए ेंसी --------------------- (ए ेंसी का नाम) ने --------------(साख श्रेणी का स्तर/साख श्रेणी) प्रदान की है ो वैध है;

(7) भाग घ, ङ, और में दिए गए ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए भाग ग की विवरणी में िस पूं ी पर्याप्तता का प्रकटीकरण किया गया है उसकी सही गणना की गई है;

(8) मा /सितंबर--- को समाप्त छमाही के दौरान ऋण, उपस्कर पट्टे, किराया खरीद वित्तपोषण और निवेश के साथ-साथ कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित सकल बकाया राशि को यह सुनिश्ि त करने के लिए गणना में लिया ाता है कि कंपनी के लिए निर्धारित न्यूनतम पूं ी पर्याप्तता अनुपात को संबंधित अवधि के दौरान अनवरत आधार पर बनाए रखा गया है;

(9) विवरणी के भाग ा में यथा प्रकट परिसंपत्ति वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और सही पाया गया। ऋणों, पट्टे और किराया खरीद लेनदेनों और देय तारीखों के बाद भुनाए गए बिलों का रोलओवर /पुनर्निर्धारण नहीं देखा गया है। अवमानक या संदिग्ध या हानिवाली परिसंपत्तियों का यदि उन्नयन किया गया है तो ऐसा गैर-बैंकिंग वित्तीय (ामा राशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के अनुरूप किया गया है;

(10) विवरणी के भाग छ में यथा प्रकट समूह कंपनियों में निवेश छमाही विवरणी के भाग ा में ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों से अधिक अलग-अलग व्यक्तियों/फर्मो अन्य कंपनियों को यथा प्रकट एक्सपो ार, विवरणी के भाग ा में परिसरों और अनुद्धृत शेयरों में यथा प्रकट निवेशों और विवरणी के भाग ञ में कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा डिक्रीप्राप्त ऋण के ब्योरे और ऐसी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण सही है।

स्थान : कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से

दिनांक (कंपनी का नाम)

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने -------------20--- की स्थिति के अनुसार पूं ीगत निधि, ोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपो ार और ोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि के संबंध में -------------------लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरणों/प्रमाणपत्र की ां ा की है। यादृ छिक ां ा के आधार पर, हम उपर्युक्त पैरा (8) में दिए गए विवरण को प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम ानकारी और दी गई ानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दिखाए गए अभिलेख और हमारे द्वारा की गयी उनकी ां ा के अनुसार उपर्युक्त विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, ा, छ, ा, ा और ञ में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान :

दिनांक : सांविधिक लेखा परीक्षक

संलग्नक -3

फार्म एनबीएस 6

पूं ी बा ार ोखिम(CME) से संबंधित मासिक विवरणी

---------- 200 माह की समाप्ति पर

एनबीएफसी/आरएनबीसी का नाम :

कंपनी की कूट सं. :
(भारिबैंक के भरने के लिए)

पं ीकृत कार्यालय का पता :

भारिबैंक पं ीयन सं. :

कंपनी का वर्गीकरण : एएफसी/ऋण/निवेश/आरएनबीसी

विवरणी भरने के लिए टिप्पणियां और अनुदेश

1. **प्रयो यता**

यह विवरणी मारााशि लेनेवाली उन सभी एनबीएफसी को भरनी है ि नकी कुल परिसंपत्तियां पिछले वर्ष 31 मा ि को 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक रही हैं (उदाहरण के लिए अप्रैल 2007 या अक्तूबर 2007 माह की विवरणी के लिए कुल परिसंपत्तियों की आधार तारीख मा ि 2007 होगी, इसी प्रकार मा ि 2008 माह की विवरणी के लिए कुल परिसंपत्तियों की आधार तारीख मा ि 2007 होगी)। लेखापरीक्षित आंकड़ों के अभाव में, इस प्रयो ान के लिए अनंतिम आंकड़े लिए ाएं।

2. यह विवरणी गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की ानी ाहिए ि सके कार्य क्षेत्र में उसका पं ीकृत कार्यालय स्थित है।

3. <u>**पूं ी बा ार ोखिम (सीएमई) की परिभाषा**</u>

इस विवरणी के लिए, सीएमई निम्नलिखित के रूप में कंपनी के ऋण ोखिमों का सकल योग होगाः

(i) उद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश, उद्धृत अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर (सीसीपीएस), उद्धृत परिवर्तनीय बांड तथा डिबें ार और मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की उद्धृत यूनिटें;

(ii) उपर्युक्त (i) की प्रतिभूतियों की मानत पर ऋण एवं अग्रिम, िसमें आइपीओं, आदि को वित्तपोषित करने वाले ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं;

(iii) शेयर दलालों को दिए गए मानती तथा बे मानती ऋण एवं अग्रिम और उनकी ओर से ारी गारंटियाँ;

(iv) बुकबिल्डिंग रूट के माध्यम-सहित ईक्विटी से संबंधित प्राथमिक निर्गमों के संबंध में हामीदारी व ानबद्धताएं; और

(v) पूं ी बा ार को ईक्विटी से संबंधित कोई अन्य ऋण ोखिम।

4. संपाश्र्विक या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को सौंपे गए शेयर, डिबें ार, पारस्परिक निधियों की यूनिटों, आदि की स्वीकार्यता सीएमई के अंतर्गत नहीं आती, यदि उन्हें सामान्य कारबार प्रथा तथा मूल्यांकन कार्यविधि के अनुसार स्वीकार किया ाता है, साथ ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के पैराग्राफ 6 के प्रावधानों के अनुपालन में आरएनबीसी द्वारा किए गए निवेशों को भी इसी के अनुरूप माना ाता है।

5. इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक कंपनियों' तथा 'उसी समूह की कंपनियों' का वही अर्थ है ो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 एवं धारा 372(11) में उनके बारे में क्रमशः बताया गया है।

6. 'पण्यावर्त' का अर्थ है निवेशों की उसी श्रेणी में बिक्री एवं खरीद का कुल योग।

7. यदि विवरणी के किसी अंश/मद में कोई बात रिपोर्ट करने के लिए नहीं हो, तो 'राशि' के कालम में '00' दिखाया ाए।

8. विवरणी पर प्रधान अधिकारियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होने ाहिए, ैसा कि मारशियों के संबंध में वार्षिक विवरणी में दिया गया है (एनबीएस-1/एनबीएस-1ए)।

9. 'सकल क्रय' शब्दावली ऐसे ऋण ोखिमों का संकेत करती है िनसे पूं ी बा ार ऋण ोखिम में ब ोत्तरी होती है तथा 'सकल विक्रय' का अर्थ उस ऋण ोखिम से है िससे एनबीएफसी/आरएनबीसी का पूं ी बा ार ऋण ोखिम कम होता है।

भाग-1 उद्धृत निवेश

(लाख रुपए में)

निवेशों के ब्योरे	पिछले माह में पण्यावर्त			माह के अंत में बही मूल्य	माह के अंत में बा ार मूल्य
	सक्र *	सवि**	योग		
1. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के उद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश					
1.1 उसी समूह की कंपनियां					
1.2 अन्य कंपनियां					
2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबें ारों में निवेश					
2.1 उसी समूह की कंपनियां					
2.2 अन्य कंपनियां					
3. मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों में निवेश					
4. उद्धृत अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर					
4.1 उसी समूह की कंपनियां					
4.2 अन्य कंपनियां					
5. उद्धृत शेयरों, बांडों/परिवर्तनीय डिबें ारों, मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों में निवेशों का योग (1+2+3+4)					
6. उद्धृत शेयरों या उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबें ारों एवं मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की (निम्न स्वरूप की प्रतिभूतियों की) मानत पर कंपनियों को ऋण तथा अग्रिम					
(क) भौतिक प्रतिभूतियां					
(ख) डिमैट प्रतिभूतियां					
6.1 उपर्युक्त 6 में से, किसी कंपनी को दी गई अधिकतम राशि					
6.2 उपर्युक्त 6 में से आइपीओ के वित्तपोषण के लिए कंपनियों को ऋण तथा अग्रिम					

6.2.1 भौतिक प्रतिभूतियां					
6.2.2 डिमैट प्रतिभूतियां					
6.3 उपर्युक्त 6 में से, निम्नलिखित को ऋण तथा अग्रिम					
6.3.1 उसी समूह की कंपनियां					
6.3.2 अन्य कंपनियां					
7. उद्धृत शेयरों या उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबें ारों एवं मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की (निम्न स्वरूप की प्रतिभूतियों की) ामानत पर व्यक्तियों, फर्मों, अविभक्त हिंदू परिवारों तथा लोगों के अनिगमित संघों को ऋण तथा अग्रिम					
(क) भौतिक प्रतिभूतियां					
(ख) डिमैट प्रतिभूतियां					
7.1 उपर्युक्त 7 में से, एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदू अविभक्त एक परिवार या लोगों के एक अनिगमित संघ को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि					
7.2 उपर्युक्त 7 में से , निम्नलिखित की ामानत पर आइपीओ के वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों, फर्मों, हिंदू अविभक्त परिवारों तथा लोगों के अनिगमित संघों को ऋण एवं अग्रिम					
7.2.1 भौतिक प्रतिभूतियां					
7.2.2 डिमैट प्रतिभूतियां					
8. शेयर दलालों को ऋण ोखिम सीमा					
8.1 शेयर दलालों को ऋण :					
8.1.1 ामानती					
8.1.2 बे ामानती					
8.1.3 उप-योग (8.1.1+8.1.2)					
8.2 शेयर दलालों की ओर से गारंटियां					
8.3 किसी शेयर दलाल को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि					
8.4 शेयर दलालों को ऋण ोखिम का योग (8.1.3+8.2)					
8.5 उपर्युक्त 8.4 में से, एनबीएफसी के स्वयं समूह में दलाली कंपनियों/फर्मों को ऋण ोखिम					

9. बुक बिल्डिंग रूट के माध्यम-सहित इक्विटी संबंधी प्राथमिक निर्गमों के संबंध में कंपनी की हामीदारी व ानिबद्धताएं					
10. पूं ाी बा ाार को ईक्विटी संबंधी कोई अन्य ऋण ाोखिम (कृपया उल्लेख करें)					
11**. कुल पूं ाी बा ाार ऋण ाोखिम (5+6+7+8+9+10)**					
भाग-2 अनुद्धृत निवेश					
12. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश					
12.1 उसी समूह की कंपनियां					
12.2 अन्य कंपनियां					
13. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के अनुद्धृत बांडों/डिबें ारों में निवेश					
13.1 उसी समूह की कंपनियां					
13.2 अन्य कंपनियां					
14. अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों/बांडों/ डिबें ारों में निवेशों का योग (12+13)					

* सक्र = सकल क्रय

** सवि = सकल विक्रय

भाग -3 पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार स्थिति

15. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कंपनी की स्वाधिकृत निधियां	
16. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कंपनी की कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त को घटाकर)	
17. ि ास माह से विवरणी संबंधित है उस माह के अंत में कंपनी की कुल ामाराशियां (आरएनबीसी के लिए)/सार्व ानिक ामाराशियां (एनबीएफसी के लिए)	

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ----------------
तारीख ---------------

नाम ------------------------------
पदनाम ---------------------------